न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 30/2015(जी.सी.एम.एस. 2015/00295) पीठासीन अधिकारीः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. चन्द्रशेखर आयु 15 वर्ष
2. अंकित आयु 10 वर्ष

पिस0 बन्सू नाबालिगान व विलायत व रिफाकत माता श्रीमति शारदा पत्नी बन्सू जाति माली नि0 भूडा गेट डीग तहसील डीग

—सायलान

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लालचन्द उर्फ रामचन्द जाति माली नि0 भूडा गेट कस्बा डीग तहसील डीग

—गैर सायल

2. लीलावती पत्नी अमर सिंह जाति माली नि0 पालई तहसील गोवर्धन जिला मथुरा(उ.प्र.)

—तरतीवी प्रति0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 30.07.2024

सायलान द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3462/0.33, 3465/0.13, 3466/0.16, 3471/0.17, 3474/0.31, वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग में स्थित है का हिस्सा 1/2 है जोकि विवादित है। सायलान एवं गैर सायलान एवं तरतीवी प्रति0 संख्या 02 एक ही परिवार से सम्बन्धित है। वर्णित सजरा अनुसार भोजा के पॉच वारिसान जिनमें दो पुत्र घीसा व प्यारेलाल पैदा हुए जिनमें घीसा लावल्द बिला औरत फौत हो गया तथा तीन पुत्रियां शांति,मानो व केसर पैदा हुई जिनमें केसर लावल्द फौत हो चुकी है व शांति के दो पुत्र बाबूलाल व बन्सू हुए और एक पुत्री लीलावती हुई जिनमें बन्सू फौत हो चुका है जिसके वारिसान सायलान माजूद है। सायलान व गैर सायल संख्या 01 खास भतीजे है। वर्णित आराजी सायलान के पिता बन्सू तथा गैर सायल संख्या 01 व तरतीवी प्रति0 के नाना भोजा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। भोजा द्वारा अपनी जीवित अवस्था में ही सन 1985 में अपनी पुत्री शांति की मृत्यु के पश्चात शांति के विधिक वारिसान का अपनी खातेदारी की आराजीयात में से पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार विभाजन में विवादित आराजी वर्णित में दर्ज नम्बरान के गत खसरा नम्बरान 3017/1—9, 3018/0—18, 3061/1—6, 3012/1—14, 3013/1—1, 3014/0—19, का हिस्सा 1/2 का पृथक पृथक बयनामा दिनांक 01.05.1985 व 16.05.1985 को प्रति0 संख्या 01 के पक्ष में तहरीर एवं तस्दीक करा दिये गये। वक्त बयनामा सायलान का पिता बन्सू व तरतीवी प्रति0 संख्या 02 लीलावती नाबालिग अवस्था में थे इसलिए उक्त आराजी के बयनामे गैर सायल संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

के पक्ष में महजकर्ता परिवार होने के कारण करा दिये। जबकि वक्त बयनामा यह तय हुआ कि सायलान के पिता बन्सू व तरतीवी प्रति0 संख्या 02 लीलावती के बालिग होने पर गैर सायल संख्या 01 विवादित आराजी में से उनके हिस्से की आराजी 1/3 – 1/3 हिस्सानुसार खातेदारी दर्ज करा देगा और भोजा की दीगर आराजी से शांति के वारिसान, सायलान एवं गैर सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं रहेगा। तभी से सायलान का पिता बन्सू विवादित आराजी के हिस्सा 1/3 एवं गैर सायल संख्या 1 हिस्सा 1/3 तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 2 शेष हिस्सा 1/3 पर काबिज वाहैसियत खातेदार काश्तकार हो गये। करीब 7–8 साल पूर्व सायलान के पिता बन्सू की मृत्यु हो जाने पर सायलान उसके हिस्से की आराजी हिस्सा 1/3 पर वतौर वारिस काबिज वाहैसियत खातेदार काश्तकार हो गये तथा आज भी काबिज काश्त है। सायलान का पिता अपनी जीवित अवस्था में वालिग होने पर प्रति0 संख्या 01 से कई मर्तवा विवादित आराजी में से हिस्सा 1/3 को उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की बावत कहता रहा लेकिन गैर सायल संख्या 01 उसको टलाता रहा व आश्वासन देता रहा। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3462/0.33, 3465/0.13, 3466/0.16, 3471/0.17, 3474/0.31, वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग का हिस्सा 1/2 को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने,मजाहमत मदाखलत नहीं करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायल के पक्ष में प्रतीत होने पर दिनांक 23.04.2015 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सायलान जारी की गई। गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल संख्या 01, की ओर से अधिवक्ता उपस्थित ने अपना जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि सायलान व गैर सायलान एक परिवार के सदस्य है। विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बरान 3017, 3018, 3061, 6012, 3013, 3014 के हिस्सा 1/2 के दो पृथक–पृथक बयनामे दिनांक 01.05.1985 व दिनांक 16.05.1985 को गैर सायल बाबूलाल को कब्जा संभलवाया था और वाद बयनामे विवादित आराजीयात पर गैर सायल विवादित आराजी खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से पर तभी से शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हूँ और मेरे हिस्से की विवादित खातेदारी की आराजी से ना तो सायलान का और ना ही तरतीवी गैर सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का है और ना ही कभी रहा है। गैर सायल की माता शांति को कोई हिस्सा की आराजी उनके पिता भोजा ने उन्हें नहीं दी। गैर सायल ने स्वतंत्र रूप से भोजा से विवादित आराजी क्रय की थी भोजा ने जो आराजी गैर सायल को विक्रय की थी वो उनकी स्वयं की अर्जित की हुई आराजी थी और जो आराजी और जो आराजी विक्रय की गई वो किसी भी प्रकार से भोजा व उनके पुत्र–पुत्रियों की सम्मलित आराजी नहीं थी। सायलान व गैर सायलान भोजा के पैत्रिक वारिसान नहीं है वल्कि भोजा की पुत्री शांति के वारिसान है। इस प्रकार भोजा व सायलान के बाबा व गैर सायलान के पिता लालचन्द का कोई संयुक्त परिवार नहीं था और

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला-डीग (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

ना ही भोजा किसी प्रकार से सायलान के पिता व गैर सायलान का कर्ता खानदान था और ना ही सायलान के पिता व गैर सायलान की कोई संयुक्त पैत्रिक सम्पत्ति थी और ना ही किसी पैत्रिक सम्पत्ति की आय से गैर सायल ने भोजा से विवादित आराजी क्रय की थी और ना ही गैर सायलान ने सायलान के पिता बन्सू व तरतीवी गैर सायल लीलावती को कोई आश्वासन दिया गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैर सायलान खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3462/0.33, 3465/0.13, 3466/0.16, 3471/0.17, 3474/0.31, वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग का हिस्सा 1/2 को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने,मजाहमत मदाखलत नहीं करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की आज्ञा फरमाई जावे।

गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से पर तभी से शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हूँ और मेरे हिस्से की विवादित खातेदारी की आराजी से ना तो सायलान का और ना ही तरतीवी गैर सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का है और ना ही कभी रहा है। भोजा व सायलान के बाबा व गैर सायलान के पिता लालचन्द का कोई संयुक्त परिवार नहीं था और ना ही भोजा किसी प्रकार से सायलान के पिता व गैर सायलान का कर्ता खानदान था और ना ही सायलान के पिता व गैर सायलान की कोई संयुक्त पैत्रिक सम्पत्ति थी और ना ही किसी पैत्रिक सम्पत्ति की आय से गैर सायल ने भोजा से विवादित आराजी क्रय की थी और ना ही गैर सायलान ने सायलान के पिता बन्सू व तरतीवी गैर सायल लीलावती को कोई आश्वासन दिया गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैर सायलान खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः–</u> विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3462/0.33, 3465/0.13, 3466/0.16, 3471/0.17, 3474/0.31, वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग के हिस्सा 1/2 पर गैर सायल शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और अपने हिस्से की विवादित खातेदारी की आराजी से ना तो सायलान का और ना ही तरतीवी गैर सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का है और ना ही कभी रहा है। भोजा व सायलान के बाबा व गैर सायलान के पिता लालचन्द का कोई संयुक्त परिवार नहीं था और ना ही भोजा किसी प्रकार से सायलान के पिता व गैर सायलान का कर्ता खानदान था और ना ही सायलान के पिता व गैर सायलान की कोई संयुक्त पैत्रिक सम्पत्ति थी और ना ही किसी पैत्रिक सम्पत्ति की आय से गैर सायल ने भोजा से विवादित आराजी क्रय की थी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायल के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Ram

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर गैर सायल शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और अपने हिस्से की विवादित खातेदारी की आराजी से ना तो सायलान का और ना ही तरतीवी गैर सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का है और ना ही कभी रहा है। भोजा व सायलान के बाबा व गैर सायलान के पिता लालचन्द का कोई संयुक्त परिवार नहीं था और ना ही भोजा किसी प्रकार से सायलान के पिता व गैर सायलान का कर्ता खानदान था और ना ही सायलान के पिता व गैर सायलान की कोई संयुक्त पैत्रिक सम्पत्ति थी और ना ही किसी पैत्रिक सम्पत्ति की आय से गैर सायल ने भोजा से विवादित आराजी क्रय की थी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में न होकर गैर सायल के पक्ष में बखूबी प्रकट होना प्रतीत है।

<u>अपूर्तिनीय क्षतिः–</u> विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3462/0.33, 3465/0.13, 3466/0.16, 3471/0.17, 3474/0.31, वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग पर जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान द्वारा दिनांक 23.04.2015 को सायलान द्वारा प्राप्त की गई। सायलान को गैर सायल के पक्ष में भोजा द्वारा तहरीर तस्दीक कराये बयनामे दिनांक 01.05.1985 एवं दिनांक 16.05.1985 की जानकारी उनके पिता के जीवनकाल से ही रही है। ऐसी स्थिति में प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति गैर सायल के पक्ष में बखूबी प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य से सावित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला-डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner